न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2016 पुनरीक्षण

त्रिलोकी प्रसाद पिता भारद्वाज प्रसाद

फोत प्रस्तावित वारिसान ——

1. श्रीमती सुशीला पत्नी स्व0 श्री त्रिलोकी प्रसाद अग्निहोत्री
2. उदय कुमार
3. जयप्रकाश अग्निहोत्री पुत्र स्व0 श्री त्रिलोकी प्रसाद अग्निहोत्री

निवासीगण– ग्राम ममदर थाना तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी म0प्र0 ——आवेदकगण

बनाम

1. सुतीक्षण प्रसाद अग्निहोत्री पिता त्रिवेणी प्रसाद ब्रा0
2. रामावतार यादव पिता कधई यादव
3. रामशरण पिता कधई यादव
4. रामसजीवन पिता कधई यादव
5. उमेश प्रसाद पिता रामावतार यादव सभी निवासीगण – ग्राम ममदर थाना तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी म0प्र0

——अनावेदकगण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांकी 24/02/2016 पारित द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी के प्रकरण कमांक 4/ए–6/14–15 व उनवान सुतीक्षण प्रसाद आदि बनाम त्रिलोकी प्रसाद

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से पुनरीक्षण निम्नप्रकार प्रस्तुत हैः–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि, प्रशनाधीन भूमि के सम्बन्ध में आवेदकगण के पिता स्व0 श्री त्रिलोकी प्रसाद एवं अनावेदकगण के मध्य संचालित प्रकरण कमांक 4/ए–6/14–15 व उउवान सुतीक्षण आदि बनाम त्रिलोकी प्रसाद में तहसील न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 32 म0प्र0 भू राजस्व संहिता पर अधीनस्थ तहसील न्यायालय द्वारा विवादित आदेश दिनांकी 24/2/2016 पारित करते हुए प्रकरण पूर्ववत आदेश दिनांकी 8/4/15 के पालन में साक्ष्य हेतु नियत किया गया है तथा आवेदकगण की विधिक आपत्ति निरस्त की गई है। जिससे असंतुष्ट होकर स्व0 श्री त्रिलोकी प्रसाद के प्रस्तावित वारिसान आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण अलावा अन्य आधारों से निम्नलिखित आधारों पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हैः–

पुनरीक्षण के आधार

1. यहकि, अधीनस्थ तहसील न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश दिनांक 24/02/2016 अवैध अनुचित तथा प्रकरण के अभिलेख के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1223-दो/2016 जिला सीधी

त्रिलोकी विरूद्ध सुतीक्षण

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09-04-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक 4/ए-6/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 24-02-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला सीधी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. यह प्रकरण दिनांक 20-06-2019 को कलेक्टर जिला सीधी के न्यायालय में सुनवाई हेतु रखा जावे । (बी.एम.शर्मा) सदस्य	